

संपत्ति अवभार प्रमाण पत्र

अनुसूचि 21 प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र सं०.....898.....

आवेदक संख्या.....493.....

चूँकि श्री. Harat Bhushan D. R. पिता/पति Bhishu Bhushan D. R. ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों का सविवरण प्रमाण पत्र दिया जाए।

आवेदन में दिए गये तथ्य के अनुसार विवरण दें

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में और उससे संबंध अनुक्रमणियों में ता०.....19/04/2018..... से.....19/04/2018.....तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद संव्यवहारों का पता नहीं चला है।

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम का निष्पादन	पक्षों के नाम का दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मौजा <u>Singhaur</u>	थाना नं० <u>373</u>	तौजी नं० <u>822</u>	खाता नं० <u>40</u>	खेसरा नं० <u>1641</u>	रकबा <u>2 Bigha 10 Katta 10 Dha</u>			

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. पहले की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।
2. पहले की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया

हस्ताक्षर

पदनाम :- लिपिक 21/3/18

तलाशी की सत्यापन और प्रमाण पत्र की जांच निम्न व्यक्ति ने की

हस्ताक्षर :-

पदनाम :- लिपिक

कार्यालय :- जिला निबन्धन कार्यालय, बेगूसराय।

तारीख मुहर :- 21/3/18

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्ही इन्ही संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण पत्र शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबन्धन अधिनियम की धारा 59 के अधीन बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हैं अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें विशिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस की भुगतान करने की प्रक्रिया और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकी वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है इसलिए कार्यालय में उपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण पत्र में दिए गये तलाशी परिणाम की किसी मूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) चूँकी वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकी उसके द्वारा ढूँढे गए संव्यवहारों और अवधारों का सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार न होगा जिस उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक पत्रांक दिनांक
संदर्भ में दिनांक से तक इण्डेक्स के जांचों उपरांत

किसी भी ऋण भार का पता नहीं चला।

21/3/18